



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3।

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 2, 2013/पौष 12, 1934

No. 3।

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 2, 2013/PAUSA 12, 1934

कार्यिक, लोक शिक्षायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्यिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2012

सा.का.नि. 3(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, 1985 (1985 का 13) की धारा 13 की उप-धारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (समूह 'क' पद) भर्ती संशोधन नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 1988 में अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

टिप्पण : प्रतिनियुक्त या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. प्रधान रजिस्ट्रार	1*(2012)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	वेतन बैंड-4, 37400— 67000 रु. + ग्रेड वेतन- 10000 रु.	चयन	लागू नहीं होता
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।				

सीधे भर्ता किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए		सीधे भर्ता किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो ।
(7)	प्रोन्नति शैक्षिक और अन्य अहताएं व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं ।	यिहित आयु और शैक्षिक अहताएं प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं ।
(8)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(9)	भर्ता की पढ़ति: भर्ता सीधे होगी या प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ता की दशा में ये श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा अर्थे जाने वाली रिकियों की प्रतिशतता
(10)	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकते पर प्रतिनियुक्ति	प्रोन्नति:- ऐसे रजिस्टर जिनकी केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में श्रेणी में तीन वर्ष की लियमति सेवा है।
(11)	प्रतिनियुक्ति:	टिप्पण 1: जहां ऐसे कलिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अहक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो यहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अहक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अहक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कलिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अहक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
(य)	केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार/उच्च न्यायालय में गठ येतन 8700 रु की श्रेणी के पद में तीन वर्ष की विचित्रित सेवा के साथ पद	टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अहक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से लिससे छठे केंद्रीय येतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित येतन संरचना का विस्तार किया गया है, लियमित आधार पर की गई सेवा को येतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड येतन या येतनालन पर की गई सेवा समझी जाएगी।

धारण किए हुए हैं।

(ii) ऐसे अधिकारी जो जिला न्यायाधीश/उच्च न्यायाधीश/उच्च न्यायालय में अपर रजिस्टर का पद नियन्त्रित आधार पर धारण किए हुए हैं।

वांछनीय:- ऐसे व्यक्ति जो अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड रखते हैं और कार्मिक और प्रशासनिक नामालॉगिक अनुभव रखते हैं।

धारण किए हुए हैं।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाल पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्रस करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीकृत वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्ण पुनरीकृत वेतनमान का साधारण थ्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रृंगी में विलय हो गया है और वहां यह नाम केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए थ्रेड वेतन या वेतनमान विभी उच्चायन का साधारण प्रतिस्थापन थ्रेड है, वेतन की आयोग सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी थ्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

(12)

(13)

(13)

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार लिए) निम्नलिखित से बिलकुर बनेगी :-

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण- अध्यक्ष
2. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य, - सदस्य
3. सचिव या अवर सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-सदस्य

लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	*09(2012) रजिस्ट्रार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसन्धियीय वेतन	वेतनबंड- चयन राग् नहीं होता	लाग् नहीं होता	लाग् नहीं होता	लाग् नहीं होता	लाग् नहीं होता	लाग् नहीं होता
10	66.66 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा और 33.33 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति:	एसे संयुक्त रजिस्ट्रार जिनकी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में पांच वर्ष की नियमित सेवा है जिसके न हो सकते पर संयुक्त रजिस्ट्रार श्रेणी में जिनकी कम से कम दस वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा है जिसमें संयुक्त रजिस्ट्रार श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा शामिल है।	टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कलिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अहंक पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे उत्पेष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अहंक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अहंक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कलिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अहंक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अहंक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार के लिए) निम्नलिखित से किलकर बनाई :-	1. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारण :- अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य,-- सदस्य 3. संयुक्त सचिव, प्रशासनिक अधिकरण बंड का आरसाथक, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - सदस्य	
11	12	13						

सिफारिशों पर अधिकृत पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गयी सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्त्वान्ती ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति:

- (i) ऐसे अधिकारी जो विधि की डिग्री रखते हैं और
 - (क) कैंटीय सरकार/राज्य सरकार/उच्च न्यायालय में सहशय पद धारण किए हुए हैं;
 - (ख) जिनकी ग्रेड वेतन 7600 रु. श्रेणी के पद में नियमित आधार पर न्यूनतम पांच वर्ष की जिनकी सेवा के साथ पद धारण किए हुए हैं; या
 - (ग) जिनकी ग्रेड वेतन 6600 रु. श्रेणी के पद में नियमित आधार पर न्यूनतम दस वर्ष की सेवा के साथ पद धारण किए हुए हैं।
- (ii) ऐसे अधिकारी जो जिला न्यायाधीश/अपर लिला न्यायाधीश/उच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार/अपर रजिस्ट्रार का पद नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में ह, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पावर नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पावर नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काड़ काल पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति या अवैतन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की

सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, जियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक क्षेणी में विलेप हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान दिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन थें हैं, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्वस्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. संयुक्त राजिस्ट्रार	*11(2012)	साधारण केंद्रीय सेवा	वेतनबैंड- 4	चयन 37400-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	राजिस्ट्रार के आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है।	समूह 'क' राजपत्रित, अननुसन्धिय वेतन रु.+ग्रेड	67000 रु.					
10	11	12	13					
66.66 प्रतिशत प्रोन्टन्टि द्वारा और 33.33 प्रतिशत प्रतिविवृक्ति द्वारा	प्रोन्टन्टि:	समूह 'क' विभागीय प्रोन्टन्टि समिति (प्रोन्टन्टि के संबंध में विचार के निम्नलिखित से बनेगी :						
		ऐसे ३४ रजिस्ट्रार जिनकी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा है।	टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्टन्टि के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ऊर्जात व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली ऊर्जात श्रेणी में प्रोन्टन्टि के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	1. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण - 2. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा जारी किया जाएगा।				

टिप्पण 2:- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी 2006 से पहले या उस तरीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर अधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गयी सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्त्वानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति:

- (i) ऐसे अधिकारी जो विधि की डिग्री रखते हैं और
 - (क) केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/उच्च न्यायालय के अधीन में सदृश्य पद धारण किए हुए हैं; या
 - (ख) जिनकी ग्रेड वेतन 6600 रु. के पद पर श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा है।
- (ii) ऐसे न्यायिक अधिकारी जिनकी न्यूनतम आठ वर्ष की सेवा है।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ण के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पावर नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पावर नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तरीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर अधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. उप रजिस्ट्रर	*24(2012)	साधारण केंद्रीय सेवा	वेतनबैंड- समूह 'क'	चयन लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
		के आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है।	गणपत्रित, अननुसंचितीय	3 15600- 39100 रु.+ग्रेड वेतन 6600 रु.				
10	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति:	11	12	13	1.	अध्यक्ष, प्रशासनिक अधिकरण में अध्यक्ष	केंद्रीय लागू नहीं होता
		ऐसे अनुभाग अधिकारी/कोर्ट अफिसर जिनकी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में ग्रेड वेतन 4800 रु. और 5400 रु. की श्रेणी छह वर्ष की समिक्षित नियमित सेवा है				2.	अध्यक्ष, प्रशासनिक अधिकरण सदस्य	केंद्रीय लागू नहीं होता
		टिप्पण 1: जहां ऐसे कलिञ्च व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अहक पात्रता सेवा पूरी कर तो है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे उच्चत व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अहक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अहक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कलिञ्च व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अहक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवेश की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर रजिस्ट्रर, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण : सदस्य				3.	अध्यक्ष द्वारा नामांतरित प्रधान रजिस्ट्रर या संयुक्त रजिस्ट्रर, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण : सदस्य	

ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक क्षेणी में विलय हो गया है और वहां या लाभ के बाहर उस पद (छन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नचयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्त्वानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर अधिरित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गयी सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

प्रतिलिपिक्रिया:

- (i) केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/उच्च न्यायालय के ऐसे अधिकारी;
- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं, या
- (ii) जिनकी ग्रेड वेतन 5400 रु. में न्यूनतम पांच वर्ष की नियमित सेवा है या समतुल्य, या
- (iii) जिनकी ग्रेड वेतन 4800 रु. में न्यूनतम छह वर्ष की नियमित सेवा या समतुल्य; और
- (च) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि की दिग्धी रखते हैं या समतुल्य ।
- (ii) ऐसे न्यायिक अधिकारी जिनकी न्यूनतम आठ वर्ष की सेवा है ।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति प्रवर्ग नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काड़ बाह एवं पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी

<p>द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर अधिरित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण घेड वेतन या वेतनमान सहित एक क्षेणी में विलय हो गया है और वहाँ या लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए घेड वेतन या वेतनमान दिला किसी उच्चयन का साधारण प्रतिस्थापन घेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्वानी घेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।</p>	<p>[फा. सं. ए-12011/3/2009-एटी] मनोज जोशी, संयुक्त सचिव</p>
--	---

पाद टिप्पण :— मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. संख्या 1036*(अ) तारीख 27 अक्टूबर, 1988 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. संख्यांक 1024(अ) तारीख 20 नवम्बर, 1989, सा.का.नि. संख्यांक 494 तारीख 20 अगस्त, 1991, सा.का.नि. संख्यांक 472(अ) तारीख 23 अगस्त, 1997 और सा.का.नि. संख्यांक 154(अ) तारीख 23 फरवरी, 2000 द्वारा उसमें परिवर्ती संशोधन किए गए ।